रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 27—अगस्त 2, 2013 (श्रावण 5, 1935)
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 27—AUGUST 2, 2013 (SRAVANA 5, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 2013

सं. एनएचबी.एचएफसी.निर्देश. 8/सीएमडी/2013--राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबंध में सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने सार्वजनिक हित में और संतुष्ट होकर यह आवश्यक समझा कि आवास वित्त प्रणाली को देश के लाभार्थ विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ, कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कम्पनी (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2010 (इसके बाद प्रधान निर्देश के रूप में संदर्भित) तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाए, यथा:

1. अनुच्छेद 28 में संशोधन

प्रधान निर्देशों के अनुच्छेद 28 में, उप-अनुच्छेद (1) में, अंत में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, यथा:--

''बशर्ते कि भारत सरकार द्वारा निष्पादित न्यास की घोषणा दिनांक 01 मई, 2012 द्वारा सृजित निम्न आय आवास के लिये ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास (इसके बाद 'ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास' संदर्भित) द्वारा गारंटीकृत और उप-पंजीयक V, नई दिल्ली द्वारा दस्तावेज सं. 1984 दिनांक 01 मई, 2012 के रूप में पंजीकृत, आवास ऋण के अंश के लिये प्रावधान करने की जरूरत नहीं है, यदि जोखिम गारंटी निधि न्यास द्वारा गारंटीकृत आवास ऋण अनर्जक बन जाता है। हालांकि, गारंटीकृत अंश के अतिरिक्त बकाया राशि को प्रावधान अपेक्षाओं के वर्तमान निर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराना चाहिए।''

2. अनुच्छेद 30 में संशोधन

प्रधान निर्देशों के अनुच्छेद 30 में, व्याख्या (1) में, उप-व्याख्या (3) में:--

(i) मद ग) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: --

''ग) अन्य आवास ऋण 100

टिप्पणी:-- उक्त मद ख) और ग) में संदर्भित आवास ऋणों में से (i) मार्टगेज कंपनियों के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकृत बंधक गारंटी कम्पनी; और/या (ii) ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास द्वारा गारंटीकृत ऐसे आवास ऋणों के अंश को छोड़ दिया गया है।

(ii) मद सीए) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, नामत:--

सीबी) मद (बी)(बी) (i) और (सी) में संदर्भित आवास ऋणों के किसी अंश और ऋण जोखिम गारंटी निधि द्वारा पंजीकृत''

3. अनुसूची II में संशोधन

प्रधान निर्देशों की अनुसूची II में, भाग ब में

(क) मद विवरण, मद कोड और III (जीए) में दिये जोखिम भार के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, नामत:--

''(जीबी) मद III (एफ)(ii) में संदर्भित आवास ऋणों का कोई अंश और (जी) ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास द्वारा गारंटीकृत	240		0''	

(ख) टिप्पणी 5 के बाद, निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी, नामत:--

''6. मद III (एफ)(ii) और (जी) में संदर्भित आवास ऋणों में से जोखिम गारंटी निधि न्यास द्वारा गारंटीकृत ऐसे आवास ऋणों के अंश को निकाल दिया गया है।''

आर. बी. वर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

NATIONAL HOUSING BANK

New Delhi, the 24th June 2013

Notification No. NHB.HFC.DIR.8 /CMD/2013 - In exercise of the powers conferred by Section 30A of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and of all the powers enabling it in this behalf, the National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and on being satisfied that for the purpose of enabling it to regulate the housing finance system of the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010 (hereinafter referred to as the principal Directions), shall, with immediate effect, be amended in the following manner, namely:

1. Amendment of Paragraph 28

In paragraph 28 of the principal Directions, in sub-paragraph (1), the following shall be inserted at the end, namely :—

"Provided that no provision need be made towards the portion of the housing loan guaranteed by the Credit Risk Guarantee Fund Trust for Low Income Housing (hereinafter referred as 'Credit Risk Guarantee Fund Trust') created by Declaration of Trust dated May 1, 2012 executed by the Government of India and registered as document No. 1984 dated May 1, 2012 with the Sub-Registrar V, New Delhi, in case the housing loan guaranteed by Credit Risk Guarantee Fund Trust becomes non-performing. However, the amount outstanding in excess of the guaranteed portion should be provided for as per the extent directions on provisioning requirement."

2. Amendment of Paragraph 30

In paragraph 30 of the principal Directions, in the Explanation (1), in sub-explanation (3) –

(i) item c) shall be substituted by the following, namely :—

"c) Other housing loans 100

Note : Housing loans referred to in item b) and c) above are **excluding** any portion of such housing loans guaranteed by (i) a mortgage guarantee company registered with the Reserve Bank of India in accordance with the Reserve Bank of India Guidelines for Mortgage Guarantee Companies; and / or (ii) the Credit Risk Guarantee Fund Trust.

(ii) The following shall be inserted after item ca), namely:-

cb) Any portion of housing loans referred to in item (b)(b)(i) and (c) and guaranteed by Credit Risk Guarantee Fund Trust" 0

3. Amendment of Schedule II

In Schedule II of the principal Directions, in Part D,

(a) after item description, item code and risk weight given in III (ga), the following shall be inserted, namely :—

" (gb) Any portion of housing loans referred to in item III (f)(ii) and (g) guaranteed by Credit Risk Guarantee Fund Trust.	240		0'	

(b) after Note 5, the following Note shall be added, namely :—

"6. Housing loans referred to in item III (f)(ii) and (g) are **excluding** any portion of such housing loans guaranteed by Credit Risk Guarantee Fund Trust."

R. V. VERMA
Chairman & Managing Director

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013
www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART III—SEC.4]—240 Copies